रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

10.10.25 वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी एव विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी इस प्रकरण मे विपक्षीगण के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है। इसलिए उक्त प्रकरण की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रोप फरमाया जावे।

मैने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी एव विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी उक्त प्रकरण मे विपक्षीगण के विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। दिनांक 5.12.23 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

मैं कार्यवाही नही चाहता हूँ।

ब दस्तखत
प्रा.
10/11/2025

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा